

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-62/2020

मो० जुल्फिकार उर्फ जुल्फिकार उर्फ टिंकू उर्फ मो० जुल्फिकार अंसारी

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री पंकज कुमार, विशेष पी०पी०।

2/15.01.2020 श्री मनीष कुमार, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री पंकज कुमार, राज्य के लिए विद्वान विशेष पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्ता, बरकागांव थाना काण्ड संख्या 168/2019 के सम्बन्ध में एक अभियुक्त है।

याचिकाकर्ता और अन्य को इस संदेह पर पकड़ा गया कि वे अपराध करने की योजना बना रहे थे। हालांकि, याचिकाकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता 24.09.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, याचिकाकर्ता, जिसका नाम ऊपर दिया गया है, को 10,000/— (केवल दस हजार रुपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एस0डी0जे0एम0, हजारीबाग की संतुष्टि पर बरकागांव थाना काण्ड संख्या-168/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)